रियासत अली v/s सरस्वती

किस्म मु० 11-14 **फर्द अहकाम** प्र.सं. 97/17.

(5)

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| -24 | वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी मौ ।।। हाजिर। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में हम अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तहसील से रिपोर्ट मंगवाना उचित नहीं समझते हैं अतः पत्रावली वास्ते बहस दि 25-11-24 को पेश हो। | |
| 25/11/24 | वकील उभय पक्ष हाजिर। वकील प्रार्थी ने साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य/बहस दि 03-12-24 को पेश हो। | |
| 03/12/24 | वकील उभय पक्ष हाजिर। वकील प्रार्थी ने आज दिनांक तक साक्ष्य पेश नहीं किये अतः साक्ष्य प्रार्थी बन्द किया जाता है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16-12-24 को पेश हो। | |
| 16/12/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी मौ ।।। हाजिर। वकील प्रार्थी हाजिर नहीं। वकील प्रार्थी को बार-बार आवाजें लगाई गई। परन्तु वकील प्रार्थी हाजिर नहीं आये। अतः पत्रावली उभय पक्षों उभय धारणों [illegible] खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश तुरन्त सुनाया गया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:24:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner